उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, इलाहाबाद–211033

अधिसूचना

वर्ष 2011–12 में खेल कूद कोटा (खुली भर्ती) के अंतर्गत भर्ती

रोजगार सूचना सं. SQ 2011-12 दिनांक : /06/2011

अंतिम तिथिः 30/08/2011 18.00 बजे तक।

अण्डमान, निकोबार और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों हेतु अन्तिम तिथि निवासियों : 14/09/2011 18.00 बजे तक।

उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद में खेलकूद कोटा (खुली भर्ती) के तहत समूह ''ग'' (ग्रुप ''सी'') में भर्ती के लिए पैरा 03 में विनिर्दिष्ट खेलकूद मानक पूरा करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. खेलों के निम्नलिखित क्षेत्र में भर्ती की जानी है :–

क्र. सं.	खेल का नाम	पे बैण्ड– I, वेतनमान– 5200–20200			कुल
		जीपी– 2800–2400	जीपी– 1900–2000	जीपी– 1800	
		पदों की संख्या– 03	पदों की संख्या– 09	पदों की संख्या– 04	
01	बैडमिन्टन	–	02 – खिलाड़ी	–	02
02	क्रिकेट (पुरूष)	–	02 – बल्लेबाज	–	02
03	क्रिकेट (महिला)	–	01 – बल्लेबाज	–	01
04	हॉकी (महिला)	02 – फारवर्ड	01 – हाफ 02 – फारवर्ड	01– हाफ 01– फुलबैक 01–गोलकीपर	08
05	फुटबाल (पुरूष)	–	–	01– फुल बैक	01
06	कुश्ती (पुरूष)	01 – 74 किग्रा. फ्रि स्टाइल	01 – 55 किग्रा. फ्रि स्टाइल	–	02
कुल संख्या		**03**	**09**	**04**	**16**

3. भर्ती के लिए खेलकूद मानकः

3.1 टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं के लिए विभिन्न ग्रेड–पे ओर पे बैण्ड में खुले विज्ञापन के माध्यम से खेलकूद कोटा (खुली भर्ती) के तहत खिलाड़ियों की भर्ती के न्यूनतम खेलकूद मानक निम्नवत् है :–

क्र.सं.	पे बैण्ड वेतनमान	ग्रेड पे	पे बैण्ड	भर्ती के न्यूनतम खेलकूद मानक
		रूपये में		
01	पी.बी.– I	2800 अथवा 2400	5200–20200	नीचे पैरा 3.2 कोटि–ए में दिए गए वर्गीकरण के अनुसार ओलम्पिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा नीचे पैरा 3.2 कोटि– बी में दिए गए वर्गीकरण के अनुसार किसी भी स्पर्धा/प्रतियोगिता में कम–से–कम तीसरा स्थान हासिल किया हो।

02	पी.बी.– I	2000 अथवा 1900	5200–20200	नीचे पैरा 3.2 कोटि–बी में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार– किसी भी स्पर्धा/प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो **अथवा** नीचे पैरा 3.2 कोटि–सी में दिये गए वर्गीकरण के अनुसार किसी भी प्रतियोगिता/स्पर्धा में कम–से–कम तीसरा स्थान हासिल किया हो **अथवा** सीनियर/यूथ/जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम–से–कम तीसरा स्थान हासिल किया हो **अथवा** भारतीय ओलम्पिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम–से–कम तीसरा स्थान हासिल किया हो **अथवा** भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय अर्न्तविश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में कम–से–कम तीसरा स्थान हासिल किया हो **अथवा** फेडरेशन कप प्रतियोगिता (सीनियर वर्ग) में पहला स्थान हासिल किया हो।
03	पी.बी.– I	1800	5200–20200	नीचे पैरा 3.2 कोटि सी में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार किसी भी प्रतियोगिता/स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया हो **अथवा** फेडरेशन कप प्रतियोगिता (सीनियर वर्ग) में कम–से–कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो **अथवा** मैराथन और क्रास कंट्री को छोड़कर सीनियर/यूथ जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में समकक्ष यूनिट वाले राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो **अथवा** राज्य के सभी यूनिटों और जिलों के सीनियर वर्ग की राज्य प्रतियोगिता में कम–से–कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो।

3.2 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का कोटि निर्धारण :–

कोटि– ए : ओलम्पिक खेल (सीनियर वर्ग)
कोटि– बी : विश्व कप (जूनियर/सीनियर वर्ग)
: विश्व चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर वर्ग)
: एशियाई खेल (सीनियर वर्ग)
: राष्ट्रमण्डल खेल (सीनियर वर्ग)
काटि– सी : राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर वर्ग)
: एशियाई चैम्पियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर वर्ग)
: दक्षिण एशियाई फेडरेशन (सैफ) खेल (सीनियर वर्ग) यू.एस.आई.सी. (विश्व रेलवे)
: चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग)

3.3 **बैडमिंटन** : बैडमिंटन खिलाडियों को ग्रेड पे रू. 2000/– अथवा रू. 1900/– पे बैण्ड 5200–20200 में नियुक्ति पर विचार उनके निम्नलिखित ***वर्तमान अखिल भारतीय वार्षिक रैंकिंग*** के आधार पर होगी : एकल स्पर्धा के सीनियर वर्ग में 12वॉ स्थान तक, युगल स्पर्धा में चौथा स्थान तक, एकल स्पर्धा के यूथ/जूनियर कोटि में छठवां स्थान तक।

3.4 क्रिकेट (पुरूष/महिला):

3.4.1 यदि अभ्यर्थी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट (पुरूष/महिला) के तहत टेस्ट मैच अथवा सीमित ओवर वन डे अन्तर्राष्ट्रीय मैच या ट्वैन्टी–ट्वैन्टी ओवर मैच में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, तो ग्रेड पे– रू. 1900/– अथवा रू.2000/– के ग्रेड पे वाले पद पर भर्ती के लिए उसके नाम पर विचार किया जाएगा।

3.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्रेड पे रू.1900/– अथवा रू.2000/– पे बैण्ड 5200–20200 वाले पद पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित (विजय ट्राफी को छोड़कर) 4 द्विवसीय/एक द्विवसीय सीमित ओवर/ट्वैन्टी–ट्वैन्टी ओवर पुरूष/महिला क्रिकेट चैम्पियनशिप में प्राप्त निम्नलिखित उपलब्धियों पर भी विचार किया जाएगा।

क.सं.	प्रतियोगिता का नाम	कोटि	भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम खेलकूद उपलब्धियां
			रू. 1900 – 2000/–
01	अखिल भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय इलिट एवं प्लेट ग्रुप चैम्पियनशिप	सीनियर यूथ/यूथ (अन्डर 22)/ जूनियर (अन्डर 19)	इलिट ग्रुप चैम्पियन शिप का सेमिफाइनल
02	अखिल भारतीय अन्तर्राज्यीय चैम्पियनशिप	सीनियर/जूनियर (अन्डर 19)	अखिल भारतीय नाक आउट स्तर का सेमीफाइनलिस्ट
03	अखिल भारतीय अन्तर्क्षेत्रीय चैम्पियनशिप	सीनियर/जूनियर (अन्डर 19)	फाइनलिस्ट

3.5 **हॉकी (महिला):** हॉकी में पे बैण्ड 5200–20200 में ग्रेड पे रू.1900/– अथवा रू.2000/– रू के ग्रेड पे वाले पदों पर भर्ती के लिए चार या चार से अधिक राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम–से–कम दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा। पे बैण्ड रू.5200–20200 में ग्रेड पे 1800/– पदों पर भर्ती के लिए इन प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके खिलाडियों को भी पात्र माना जाएगा।

टिप्पणी:–

क) खेलकूद कोटे के तहत सभी नियुक्तियां निम्नतम वेतनमान पर होगी।

ख) उपर्युक्त सभी चैम्पियनशिप प्रतियोगिताएं मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य खेलकूद संघों के तत्वावधान में आयोजित होने चाहिए और आर.एस.पी.बी. द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

ग) जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में हासिल उपलब्धियों के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित ऐज ग्रुप के खिलाडियों पर विचार किया जाएगा।

क.सं.	खेल का नाम	कोटि	जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का विवरण	
			ऐज ग्रुप	चैम्पियनशिप का नाम
01	बैडमिन्टन	पुरूष	अन्डर–19	जूनियर राष्ट्रीय बैडमिन्टन चैम्पियनशिप
02	क्रिकेट	पुरूष	अन्डर–22	कर्नल सी.के.नायडू ट्रॉफी (इण्टर स्टेट चैम्पियनशिप)
			अन्डर–19	कोच बेहर ट्रॉफी (इण्टर स्टेट चैम्पियनशिप)
			अन्डर–19	वीनू मंकड ट्रॉफी (एक द्विवीसीय सीमित ओवर इण्टर स्टेट चैम्पियनशिप)
			अन्डर–19	विजय हजारे ट्रॉफी (एक द्विवीसीय सीमित ओवर अखिल भारतीय इण्टरजोनल चैम्पियनशिप)
		महिला	अन्डर–19	इण्टर स्टेट ऑल इंण्डिया नॉक आउट/इण्टर स्टेट जोनल टूर्नामेंट (एक द्विवीसीय सीमित ओवर चैम्पियनशिप)
			अन्डर–19	ऑल इंण्डिया इण्टर स्टेट जोनल टूर्नामेंट (एक द्विवीसीय सीमित ओवर चैम्पियनशिप)

03	फुटबाल	पुरूष	अन्डर–19	जूनियर राष्ट्रीय फुटबाल चैम्पियनशिप
04	रेस्लिंग	पुरूष	अन्डर–19	जूनियर राष्ट्रीय रेस्लिंग चैम्पियनशिप

4 शैक्षिणिक योग्याताः

(क) ग्रेड पे रू.1800/– के पद हेतु : मैट्रिकुलेशन, आई.टी.आई या समकक्ष परीक्षा पास हो।

(ख) ग्रेड पे रू.1900/– एवं रू.2000/– के पद हेतु : 50% से मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) ग्रेड पे रू.2400/– (तकनीशियन) पद हेतु : गणित या भैतिक विषय के साथ मैट्रिकुलेशन एवं इण्टरमीडिएटया समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(घ) ग्रेड पे रू.2800/– के पद हेतु : किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष की परीक्षा उत्तीण की हो।

5. आयुः आयु सीमाः 01.01.2012 को 18 वर्ष से 25 वर्ष। आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

6. विचारार्थ खेलकूद उपलब्धियों की अवधि :–

अभ्यर्थी की पात्रता की दृष्टि से वर्तमान और पिछले दो वित वर्षों की खेलकूद उपलब्धियों पर ही विचार किया जाएगा अतः 01.04.2009 की या उसके बाद की खेलकूद उपलब्धियां ही मान्य होंगी।

7. आवेदन कैसे करें :–

आवेदन संलग्न प्रारूप "क" के अनुसार उत्तम कोटि के ए–4 साइज कागज पर प्रस्तुत किए जाएं। आवेदन प्रारूप केवल अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में ही होने चाहिए और अंग्रेजी और हिन्दी में ही भरे जाने चाहिए। हिन्दी या अंग्रेजी के आलावा किसी अन्य भाषा में किए गए आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा आवेदन स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भरे और हस्ताक्षरित होने चाहिए। अभ्यर्थी को आवेदन के निर्धारित स्थान पर अपना हाल में ही खिंचवाया गया एक विधिवत् स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटा चस्पा करना होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ अपना एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का स्वप्रमाणित फोटो भी संलग्न करे।

8. परीक्षा शुल्क :–

अभ्यर्थी को, वित्त सलाहाकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, के पक्ष में, भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो इलाहाबाद में देय हो संलग्न करना होगा।

(क) ग्रेड पे रू. 2400, 2800/– के पद हेतु : रू.60/–

(ख) ग्रेड पे 1800, 1900, 2000/– के पद हेतु : रू.40/–

टिप्पणीः–

i) सभी महिला उम्मीदवार, अनु.जाति/अनु.जन.जाति/मुस्लिम/सिख/बुद्धिस्ट/पारसी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट दी पायेगी।

ii) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों की पारिवारिक वार्षिक आय यदि 50000/– से कम है तो उन्हे क्रीमीलेयर के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। (आय से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र **एनेक्शन–ई** फार्म के अनुसार संलग्न करें)

09. किसे आवेदन करें :–

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र को लिफाफे में भरकर सहायक कार्मिक अधिकारी/आई.आर., उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, सरस्वती ब्लॉक, सूबेदारगंज, इलाहाबाद–211033 के पते पर इस प्रकार से भेजा जाए कि यह अनिवार्य रूप से अन्तिम तिथि 30.08.2011 के अन्दर प्राप्त हो जाए। आवेदन पत्र मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, सरस्वती ब्लॉक, सूबेदारगंज, इलाहाबाद में रखे गये बाक्स में अंतिम तिथि और समय के पूर्व किसी भी कार्यदिवस (सोमवार–शुक्रवार) को डाले जा सकते हैं।

टिप्पणीः– आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2011 को या इसके पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

अण्डमान, निकोबार और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 14/09/2011 को 18.00 बजे तक होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अण्डमान, निकोबार और लक्षदीप का अधिवास प्रमाण–पत्र संलग्न करान होगा। यह प्रमाण–पत्र अंडमान, निकोबार प्रशासन के समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों। अभ्यर्थी ने जिस स्कूल या कॉलेज में सबसे बाद में शिक्षा ग्रहण की हो इस स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी वह प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जा सकता है जिसमें दर्शाया गया हो कि अभ्यर्थी ने अपनी परीक्षा अंडमान, निकोबाद और लक्षदीप में स्थित स्कूल/कालेज से उत्तीर्ण की हो।

आवेदन पत्र के लिफाफे के शीर्ष पर **''खेलकूद कोटा वर्ष 2011–12 के तहत आवेदन'' (खुला विज्ञापन स्कीम)** लिखा होना चाहिए।

10. भर्ती प्रक्रिया :–

भर्ती परीक्षा, खेलकूद उपलब्धियों के मूल्यांकन और सामान्य बुद्धि परीक्षण/व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर की जाएगी। परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी ही दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। किसी आवेदन अभ्यर्थिता के गलत पाए जाने पर इसे किसी भी चरण में अस्वीकृत किया जा सकता है ओर इसके किसी भी कारण की सूचना देने के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगी।

11. सामान्य शर्तें :–

क) किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह उपरोक्त पैरा 3.0 में दिये गये मानकों को पूरा करता है।

ख) खेलकूद प्रमाण–पत्रों में अंकित अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर और पिता का नाम वही हो जो उसके स्कूल/कालेज के प्रमाण–पत्रों में दर्ज है। इस मामले में कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

ग) किसी विशेष प्रतियोगिता/स्पर्धा में (हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, 90 किग्रा/70 किग्रा.20 किमी.पैदल चलना) में हासिल विशिष्ट स्थान, यदि लागू हो, का भी आवेदन में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

घ) यदि अभ्यर्थी पहले से ही रेलवे या केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हो, तो उसे अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना चाहिए और नियोक्ता का ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' भी प्रस्तुत करना चाहिए।

च) पात्र आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए दण्ड और चयन प्रक्रिया के संबंध में रेलवे प्रशास का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

छ) नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित पद हेतु अपेक्षित चिकित्सीय उपयुक्ता के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करना होगा।

ज) भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश करने/कराने वाले अभ्यर्थी को आयोग्य कर दिया जाएगा।

झ) अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अल्प अवधि की सूचना पर परीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए।

12. संलग्न :–

पूर्ण आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक नत्थी किए जाएं (हिन्दी/अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में प्रमाण–पत्र होने की स्थिति में उनका हिन्दी/अंग्रेजी प्रमाणित अनुवाद संलग्न किया जाए)

क) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

ख) जन्म तिथि के प्रमाण में प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

ग) उपर्युक्त खेल–कूद योग्यतओं उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी।

घ) अ.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि.व. समुदाय संबंधित अद्यतन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अनुलग्नक ''ख'' एवं ''ग'' के प्रारूप में।

ड.) मद सं. 8 में उल्लिखित रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट (ऐसे अभ्यर्थियों को छोडकर जिन्हें परीक्षा शुल्क में छूट दी गयी है)।

च) पासपोर्ट साइज का एक अतिरिक्त फोटो।

13. अमान्य आवेदन–पत्र

जिन आवेदनों में निम्नलिखित कमियां पाई जायेंगी उन्हें सरसरी तोर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

;पद्ध ऐसे आवेदन जो अपूर्ण, अहस्ताक्षरित हों, और निर्धारित प्रारूप पर न हो।

;पपद्ध ऐसे आवेदन पत्र जो हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में न हो।

(iii) ऐसे आवेदन पत्र जिनके साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय इत्यादि के समर्थन में प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणति प्रतियां संलग्न न की गयी हेा।

;पअद्ध अनुप्रमाणित प्रमाण–पत्र जो हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में न हो (हिन्दी/अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में होने की दशा में प्रमाण–पत्र का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद संलग्न न किया गया हो।)

(v) अनु.जाति/अ.ज.जाति एवं अन्य जिन्हें परीक्षा शुल्क में छूट दी गयी है के आवेदनों को छोडकर ऐसे आवेदन पत्र जिसमें परीक्षा शुल्क भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न न किया गया हो।

;अपद्ध ऐसे आवेदन पत्र जिसमें स्वप्रमाणित फोटोग्राफ न लगाया गया हो।

;अपपद्ध अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

रेलवे प्रशासन डाक विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/आई.आर.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

उत्तर मध्य रेलवे

खेलकूद कोटा भर्ती (वर्ष 2011–12) तहत भर्ती

(आवेदन पत्र अभ्यर्थियों के स्वयं के हस्तलिपि में भरा जाये)

रोजगार सूचना सं. : SQ 2011–12

स्वः हस्ताक्षरित पास पोर्ट साईज फोटो चिपकायें।

खेल का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है ....

1. आवेदक का नाम (बडे. अक्षरों में) ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. पत्र व्यवहार के लिए पता (पिन कोड सहित) ....
....
....
....मोबाइल नं..................................
4. जन्मतिथि (अंको में) .... (शब्दों में) ....
5. लिंग (पुरूष / महिला) ....
6. राष्ट्रीयता ....
7. धर्म ....
8. समुदाय (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :

अ.जा.	अ.ज.जा.	पिछडा	अनारक्षित

1. निकटतम रेलवे स्टेशन ....
2. शैक्षिक योग्यता ....
3. खेलकूद योग्यता ....

क) स्पर्धा का नाम..
(100/200/500 मीटर / हेप्थलॉन इत्यादि)

ख) खेल का नाम .... खेलने की पोजिशन ....
(हॉकी, बॉलीबाल इत्यादि)

ग) खेल विशेष में हासिल उपलब्धियां ....

4. भारतीय पोस्टल आर्डर का विवरणः

भारतीय पोस्टल आर्डर नं.	जारी कर्ता पोस्ट आफिस का नाम	जारी करने की तिथि	धन राशि रू

5. यदि आप पहले से सेवारत कर्मचारि है तो उसका पूर्ण विवरण दें

क) जहां नियुक्त हैं उस संस्था का नाम : ....

ख) धारित पद का नाम : ....

ग) नियोक्ता का पता :..

(यदि अभ्यर्थी सरकारी सेवा मं है तो आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रसारित किया जाय)

घोषणाः

मैं..एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दिये गये उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मै अवगत हूँ कि इसमें उल्लेखित कोई भी विवरण अथवा सूचना जो असत्य या गलत पाई जाती है तो खेलकूद कोटे के तहत भर्ती के लिए मेरी पात्रता / नियुक्ति बिना किसी नोटिस के किसी भी स्तर पर समाप्त कर दी जायेगी। मेरी नियुक्ति के बाद भी यदि कोई असत्य कथन, असंगति पाई जाती है तो मुझे बिना कोई सूचना दिये मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थानः..........................
दिनांकः.........................

LTI

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (हिन्दी में)   अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (अंगेजीं में)

नोटः मद सं. 4,8,10 एवं 11 के साक्ष्य में प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाए।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूपः–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी ग्राम/कस्बा.. जिला/संभाग..राज्य/संघ...अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश 1950
3. संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951
4. संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संघ क्षेत्र) 1951 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956, मुम्बई रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिऑर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।
5. संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1956
6. संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित
7. संविधान (दायर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
8. संविधान (दायर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
9. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964
10. संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967
11. संविधान (गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968
12. संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
13. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978
14. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978

अनुलग्नक – C

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछडी जातियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री..ग्राम...जिला/मंडल.. प्रदेश...के निवासी हैं...समुदाय से संबंधित हैं जिसे पिछड़ी जाति के रूप में निम्नलिखित अनुसार मान्यता प्राप्त है।

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 सं0 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1999 को प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93–बीसीसी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1983
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड सं0 163 दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/9/94–बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/7/95–बीसीसी दिनांक 24 मई 1995
4. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 210 दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/44/96–बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर 1998
5. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 सं0 129 दिनांक 8 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93– बीसीसी दिनांक 7 जुलाई अक्टूबर 1997
6. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 164 दिनांक 01 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/12/96–बीसीसी
7. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 236 दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/99/94–बीसीसी
8. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 239 दिनांक 03 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/13/97–बीसीसी
9. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/12/96–बीसीसी
10. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/93–बीसीसी
11. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 241 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/98–बीसीसी
12. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 270 दिनांक 06 दिसम्बर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/88/98–बीसीसी
13. भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खंड–1 सं0 71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/36/99–बीसीसी

श्री/श्रीमती/कु. ....और उसका परिवार साधारण....................................राज्य के ....जिले के निवासी हैं, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/9/1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93–स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं है।

दिनांक

जिलाधीश/उपायुक्त आदि

मुहर

टिप्पणीः– यहॉ प्रयुक्त ' साधारण निवासी' का अर्थ वहीं है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 30 में वर्णित है।

अनुलग्नक – D

<u>घोषणा</u>

मैं...श्री...का पुत्र/पुत्री, गॉव...नगर/शहर...
जिला...राज्य...का/की निवासी एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं...(अपनी उपजाति का उल्लेख करें) समुदाय से वास्ता रखता/रखती हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93– (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में संलग्न आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण पाने के उद्देश्य हेतु भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 और इसके पश्चात् कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/2004–ईएसटीटी (रेस.) के शेड्यूल के खण्ड 3 में वार्णित व्यक्तियों/सेक्शनों (क्रीमी लेयर) से वास्ता नहीं रखता/रखती हूँ।

स्थानः............................

तिथिः................................

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक – E

रेलवे रिक्रूटमेंट सेल

रेलवे रिक्रूटमेंट सेल परीक्षा के लिए शुल्क माफ कराने हेतु आय प्रमाण–पत्र

1. आवेदन का नाम :...
2. पिता/पति का नाम :...
3. उम्र :...
4. आवासीय पता :...
5. परिवार की वार्षिक आय (शब्दों एवं अंकों में) : ....
6. जारी तिथि :...
7. हस्ताक्षर :...

<u>(जारी करने वाले अधिकारी का नाम)</u>

8. जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहरः